झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

झारखण्ड विधान सभा

तृतीय मानसून-सत्र

वर्ग-02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक :- 31 भाद्रपद, 1942 (श0) को 22 सितम्बर, 2020 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगें :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
35.	अ0सू0-20	श्री अमर कुमार बाउरी	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य मामले	16.09.20
36.	अ0सू0-13	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	योजनाओं का क्रियान्वयन।	खनन एवं भूतत्व	16.09.20
37.	अ0सू0-32	श्री भूषण बाड़ा	बाध्यता को समाप्त करना।	राजस्व निबंधन भूमि सुधार	17.09.20
38.	अ0सू0-01	श्री बिरंची नारायण	शिक्षकों को प्रोन्नति देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.09.20
39.	अ0सू0-21	श्री अमर कुमार बाउरी	मुआवजा एवं दण्डित करना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	16.09.20
40.	अ0सू0-15	श्री राजेश कच्छप	औद्योगिक ईकाई का अधिग्रहण।	उद्योग	16.09.20
41.	अ0सू0-09	श्री प्रदीप यादव	पुरानी व्यवस्था बहाल करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	16.09.20
42.	अ0सू0-36	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	मुण्डारी खुटकट्टी व्यवस्था चालू रखना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.09.20
43.	अ0सू0-08	श्री नारायण दास	ई-स्टेंपीग खरीद बिक्री।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.09.20
44.	अ0सू0-03	श्री विनोद कुमार सिंह	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.09.20
45.	अ0सू0-06	डॉ0 लम्बोदर महतो	चिकित्सा समस्याओं का निराकरण।	स्वा0 चि0 शिक्षा एवं परि0कल्याण	16.09.20
46.	अ0सू0-34	श्री वैद्यनाथ राम	नियुक्ति नियमावली का अनुपालन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.09.20
47.	अ0सू0-29	श्री दीपक बिरुवा	उम्र सीमा बढ़ाना।	स्वा0 चि0 शिक्षा एवं परि0कल्याण	17.09.20

01	02	03	04	05	06
48.	अ0सू0-17	श्री बंधु तिर्की	जमीन का स्थानांतरण।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	16.09.20
49.	अ0सू0-14	श्री सरयू राय	लौह अयस्क की निलामी।	खान एवं भूतत्व	16.09.20
50.	अ0सू0-12	श्री केदार हजरा	डिग्री महाविद्यालय की स्वीकृति।	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	16.09.20
51.	अ0सू0-26	श्री नलिन सोरेन	तटबंध का निर्माण।	जल संसाधन	16.09.20
52.	अ0सू0-30	श्री चमरा लिण्डा	कार्रवाई करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.09.20
53.	अ0सू0-07	श्री सरयू राय	विद्युत आपूर्ति करना।	ऊर्जा विभाग	16.09.20
54.	अ0सू0-25	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	समान दर पर कोयला का उठाव।	खान एवं भूतत्व	16.09.20
55.	अ0सू0-04	श्री बिरंची नारायण	आर0टी0पी0सी0आर0 मशीन की स्थापना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परि0 कल्याण	16.09.20
56.	अ0सू0-10	श्री अनन्त कु0 ओझा	शिक्षण एवं चिकित्सा व्यवस्था चालू करना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परि0 कल्याण	16.09.20
57.	अ0सू0-35	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.09.20
58.	अ0सू0-31	श्री निरल पूरती	वैधता की जाँच।	राजस्व निबंधन भूमि सुधार	17.09.20
59.	अ0सू0-16	श्री राजेश कच्छप	क्षेत्रीय कार्यालय खोलना।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	15.09.20
60.	अ0सू0-18	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मासिक मानदेय देना।	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	15.09.20
61.	अ0सू0-33	श्री भूषण बाड़ा	विद्युतीकरण	ऊर्जा विभाग	17.09.20
62.	अ0सू0-02	श्री प्रदीप यादव	उच्च स्तरीय जाँच कराना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परि0 कल्याण	16.09.20
63.	अ0सू0-11	श्री बंधु तिर्की	प्रस्ताव लौटाने का औचित्य	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.09.20
64.	अ0सू0-23	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	नियुक्ति करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	16.09.20
65.	अ0सू0-19	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	परीक्षा का आयोजन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.09.20
66.	अ0सू0-24	श्री सुदेश कुमार महतो	मुकदमा वापस लेना।	ऊर्जा विभाग	16.09.20
67.	अ0सू0-22	श्री सुदिव्य कुमार	अविलम्ब नियुक्ति करना।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	16.09.20
68.	अ0सू0-27	श्री नलिन सोरेन	वेतन का निर्धारण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	16.09.20
69.	अ0सू0-28	श्री दीपक बिरूवा	विधि सम्मत कार्रवाई।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	17.09.20
70.	अ0सू0-05	श्री मनीष जायसवाल	अधिसूचना निर्गत करना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	16.09.20

राँची,
दिनांक- 22 सितम्बर, 2020 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030 .....

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-1633/वि0स0,राँची,दिनांक- 19.9.20

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवधारी
19/9/20
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-1633/वि0स0,राँची,दिनांक- 19.9.20

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः **माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय** के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवधारी
19/9/20
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-1633/वि0स0,राँची,दिनांक- 19/9/20

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा,बेवसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवधारी
19/9/20
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

19.09.20

(35)

श्री अमर कुमार बाउरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं० अ०सू०-20 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनकियारी प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्टेडियम निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी थी;	1.	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा कार्य अभी बन्द कर दिया गया है;	2.	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अविलम्ब स्टेडियम निर्माण का कार्य कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में बोकारो जिलान्तर्गत चन्दनकियारी में स्टेडियम निर्माण हेतु ₹6,08,68,900/- की स्वीकृति प्रदान करते हुए अद्यतन ₹4,70,00,000/- का आवंटन उपायुक्त बोकारो को दिया गया है तथा शीघ्रातिशीघ्र कार्य पूर्ण कराने का अनुरोध भी उपायुक्त, बोकारो से किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक-पर्य०/वि०स०/60/2020 906 /राँची, दिनांक 21-09-2020

प्रतिलिपि— प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 1276/वि०स० दिनांक-16/09/2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–13

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के गोड्डा जिला में राजमहल परियोजना द्वारा कोयला उत्खनन का कार्य किया जा रहा है,	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उत्खनन के कार्य के बाद उत्खनन की गई 2500 एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है,	क्षेत्रीय प्रबंधक (यो0नि0वि0 व पर्या0), राजमहल क्षेत्र के प्रतिवेदन के अनुसार कोयले का उत्खनन कार्य के बाद उत्खनन की गई भूमि में निम्न प्रकार है– • अभी तक राजमहल परियोजना द्वारा खनन किया गया भूमि–872 हेक्टेयर। • Technical Reclamation की गई भूमि–265 हेक्टेयर। • वृक्षारोपन किया गया भूमि–245 हेक्टेयर। • शेष भूमि में Technical Reclamation के उपरांत वृक्षारोपन का कार्य संपन्न कराये जाने की सूचना दी गई है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित भूमि को चिन्हित कर उक्त भूमि पर वृक्षारोपण, उद्योग स्थापित करने तथा अन्य योजनाओं को क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–62 / 2020 1174 /एम0, राँची, दिनांक– 19.9.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1565 दिनांक–16.09.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9

सरकार के उप सचिव

37

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–32 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में CNT Act, 1908 की धारा–46(I) (A) के तहत अनु0 जनजातियों के सदस्यों द्वारा Land Transfer के लिये थाना क्षेत्र की बाध्यता से संबंधित प्रावधान में Amendmend का प्रस्ताव TAC की अनुशंसा के बाद भी राज्य सरकार के पास लंबित है, जिससे अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या– 2588, दिनांक–30.08.2017 द्वारा जनजातीय समुदाय के आवासीय उद्देश्य से एक अधिसूचित थाना क्षेत्र के अंतर्गत भूमि की क्रय विक्रय के प्रावधानों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत की बाध्यता तथा एस0पी0टी0 एक्ट में संथाल परगना में गैर जनजातीय लोगों के द्वारा गैर जनजातीय लोगों का अवासीय उद्देश्य से भूमि के क्रय–विक्रय के प्रावधानों पर अपेक्षित संशोधनों पर विचार विमर्श हेतु डॉ0 लुईस मरांडी, तत्कालीन माननीया मंत्री कल्याण विभाग–सह–उपाध्यक्ष झारखण्ड जनजातीय परिषद् की अध्यक्षता में एक उप समिति की गठित की गयी थी। अनुशंसा की सूचना विभाग को अप्राप्त है। उप समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् का सुझाव/परामर्श/निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0(अ0सू0)–200/2020..2469./रा0, दिनांक-21.09.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1624 वि0स0, दिनांक–17.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के विशेष सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docs.3.docx (Hema)

(38)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री बिरंची नारायण, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत राज्य के सभी जिलों के मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के अधिसंख्या पद रिक्त है इनमें प्रधानाध्यापक के लगभग 95 प्रतिशत पद रिक्त है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3192 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 148 नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत है। शेष सभी विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्यरत है। मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के 10623 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 7864 शिक्षक कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि छात्रहित में इनको भरने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 का जिलों में अब तक पूर्ण अनुपालन कर शिक्षकों को प्रोन्नति नही दी गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों के उपरांत आपसी वरीयता निर्धारित करने हेतु संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या-1145, दिनांक 18.07.2019 निर्गत है जिसके आलोक में वरीयता सूची का पुर्ननिर्धारण का आदेश जिला शिक्षा स्थापना समिति को दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो समेत राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरने और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या-3027 दिनांक 14.12.2015 एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 का अनुपालन करवाते हुए शिक्षकों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वरीयता सूची पुर्ननिर्धारित होने के उपरांत राजकीयकृत शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति दी जायेगी।

अकु सिंह
21/9/2020
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 16/वि.2-39/2020 1147 / राँची, दिनांक 21.9.2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1567, दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकु सिंह
21/9/2020
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(39)

दिनांक 22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमर कुमार बाउरी,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उरॉंव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला में 7 मार्च 2020 को भूखन घासी की मृत्यु कसमार प्रखण्ड में भूख के कारण हो गई थी, तत्पश्चात सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी भूखन घासी के दो बच्चों की मृत्यु भूख एवं कुपोषण से हो गई;	अस्वीकारात्मक। इस संबंध में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 1338/आ०, दिनांक 19.09.2020 एवं पत्रांक 3305/गो०, दिनांक 04.09.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्व० भूखल घासी एवं उनके दो बच्चों की मृत्यु भूख से न होकर बीमारी से हुई है। प्रतिवेदन के अनुसार राखी कुमारी आनुवांशिक बीमारी से ग्रसित थी, लगातार चिकित्सीय उपचार के उपरान्त वह स्वस्थ तो होती थी, परन्तु पुनः रोगग्रस्त हो जाती थी। इसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु दिनांक 31.08.2020 को हो गई। स्व० भूखल घासी के पुत्र नीतेश की मृत्यु ईलाज के क्रम में सदर अस्पताल, बोकारो में हुई थी। यह मामला भी बीमारी से मृत्यु का है।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा मुआवजा की घोषणा के बाद भी पिड़ित परिवार के किसी प्रकार का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। स्व० भूखल घासी की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) तथा उनके पुत्र नितेश घासी की मृत्युपरांत उनके आश्रित को रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) भुगतान कर दिया गया है। स्व० भूखल घासी की विधवा पत्नी को राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा अप्रैल 2020 से पेंशन की राशि रूपये 1,000/– (रूपये एक हजार) प्रतिमाह नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। स्व० भूखल घासी की विधवा पत्नी को बाबा भीम राव अम्बेदकर योजना के तहत आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा प्रथम किस्त के रूप में रूपये 40,000/– (रूपये चालीस हजार) का भुगतान भी कर दिया गया है। साथ ही, स्व० भूखल घासी के परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूखन घासी के परिवार को उचित मुआवजा तथा देरी करने वाले पदाधिकारियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्व० भूखल घासी के परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जा चुका है तथा लाभकारी योजनाओं से भी आच्छादित किया जा चुका है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 06/विधान सभा–32/2020 – 2466 /राँची, दिनांक 21.09.20

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1579/वि०स०, दिनांक 16.09.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/20
सरकार के अवर सचिव।

श्री राजेश कच्छप, माननीय सo विo सo द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 15 (40)

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार एवं बिहार सरकार की सहमति से बिहार सरकार ने अधिसूचना संख्या–G (5)/Miss/BSIDC 07/2016-2146, दिनांक–24.05.2018 द्वारा संकल्प जारी कर बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों के संबंध में तय किया गया है कि झारखण्ड राज्य स्थित बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की इकाईयां दिनांक–01.04.2018 के प्रभाव से झारखण्ड राज्य के अधीन होंगे;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2146, दिनांक–24.05.2018 के क्रम संख्या–(V) पर Assets की सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित Assets संबंधित राज्य सरकार या उसके एजेंसी को सुरक्षा में रखने हेतु दिनांक–31.03.2018 के प्रभाव से Assets Transfer कर दिया जाय, किन्तु बिहार सरकार द्वारा अभी तक BSIDC के झारखण्ड अवस्थित Assets को Transfer नहीं किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संकल्प के आलोक में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन दोनो राज्यों के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया है, जिसे बिहार सरकार ने ज्ञापांक–309, दिनांक–19.06.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–309, दिनांक–19.06.2019 द्वारा सिर्फ Public Sector की झारखण्ड अवस्थित 5 (पाँच) इकाईयों तथा बिहार अवस्थित 2 (दो) इकाईयों की आस्तियों का मूल्यांकन कर संयुक्त जाँच प्रतिवेदन दिया गया था। विदित हो कि झारखण्ड तथा बिहार में BSIDC की Public Sector इकाईयों के साथ–साथ Assisted Sector, Subsidiary Sector एवं संयुक्त क्षेत्र के इकाईयों, BSIDC की पटना अवस्थित मुख्यालय भवन, बिहार स्कूटर लि, फतुहा, पटना इत्यादि की आस्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की झारखण्ड स्थित इकाईयों (1) बिहार स्टेट सुपरफास्फेट फैक्ट्री सिन्दरी, धनबाद (2) हाई टेन्सन इन्सुलेटर फैक्ट्री, नामकुम, राँची (3) इलेक्ट्रिक इक्वीपमेंट फैक्ट्री, टाटीसिल्वे, राँची (4) मैलेबुल कास्ट आयरन फाउन्ड्री एवं (5) स्वर्णरेखा घड़ी, कारखाना नामकुम, राँची के आस्तियों का अधिग्रहण एवं दायित्वों का भुगतान आज तक झारखण्ड सरकार द्वारा नहीं किया गया है।	अस्वीकारात्मक। बिहार सरकार से निर्गत संकल्प ज्ञापांक–2146, दिनांक–24.05.2018 के कंडिका–IV के आलोक में सरकार से निर्गत संकल्प की कंडिका VI पर निहित प्रावधान के आलोक में दायित्वों (Liabilities) का बंटवारा दोनों राज्यों के आस्तियों (Assets) के Valuation के अनुपात में किया जाय। किन्तु उक्त प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार द्वारा सहमति नहीं दी गयी है। बल्कि उद्योग विभाग के पत्रांक–1639 दिनांक–21.08.2019 द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम–2000 के भाग–VI की धारा 40 एवं 47 के आलोक में झारखण्ड अवस्थित सभी आस्तियों को हस्तांतरित करने तथा झारखण्ड अवस्थित इकाईयों के सभी दायित्वों का भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति मांगी गयी थी, जिस पर बिहार सरकार द्वारा अभी तक सहमति नहीं दी गयी है। सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही झारखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड स्थित इकाईयों का अधिग्रहण और दायित्वों का निपटारा करने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1639 दिनांक–21.08.2019 निर्गत पत्र में दिये गये प्रस्ताव पर यदि बिहार सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर दी जाती है तो अविलम्ब आस्तियों का अधिग्रहण एवं दायित्वों के भुगतान पर झारखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–42 / 2020 815 राँची, दिनांक– 19/09/2020

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–1563 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.09.2020
सरकार के अवर सचिव

(41)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 38,432 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार हेतु Ready to Eat के रुप में चलाया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि Ready to Eat बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के रुप में सही साबित नहीं हो रहा है और राज्य के कई उपायुक्तों ने भी इसकी गुणवत्ता एवं उपयोगिता पर प्रश्न उठाया है;	लागू नहीं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पका पौष्टिक भोजन देने हेतु पुनः पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, हां तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राज्य के 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 06 से 36 माह तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा 06 से 72 माह के अतिकुपोषित बच्चों को Take Home Ration (THR) उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही सुबह का नाश्ता, मध्यावधि में नाश्ता एवं मध्याह्न भोजन के रुप में Hot Cook Meal (HCM) आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार सभी पहलू पर ध्यान रखते हुए सभी विकल्पों के तुलनात्मक अध्ययन कर भविष्य में बेहतर व्यवस्था लागू करने की दिशा में विचार कर रही है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

ज्ञापांक – 03/म० स0/वि0 स0/अल्प सू0 प्रश्न – 181/2020–1120 राँची, दिनांक :21-09-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1573/वि0स0 दिनांक–16.09.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव

42

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–36 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में CNT एक्ट के तहत् चिन्हित 156 मुण्डारी/खूंटकट्टी गाँव अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के मुण्डारी/खूंटकट्टी गाँवों के जमीनों को भी सरकारी लैंड बैंक के तहत् चिन्हित किया है;	अस्वीकारात्मक। सरकारी लैंड बैंक में शामिल नहीं किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि सरकार के पास मुण्डारी/ खूंटकट्टी अधिकार के तहत् लगान जमा करने की कोई ऑन–लाईन व्यवस्था है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुण्डारी/खूंटकट्टी व्यवस्था को बरकार रखने की मंशा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। CNT Act के अंतर्गत सरकार मुण्डारी/खूंटकट्टी व्यवस्था को बरकरार रखने हेतु प्रतिबद्ध है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0(अ0सू0)–201/2020 2479 रा0, दिनांक–21-09-2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2459 वि0स0, दिनांक–18.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के विशेष सचिव।

443

13/नि. विधानसभा-06/2020 443/नि., दि.- 21/09/2020

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री नारायण दास, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-08 का उत्तर सामग्री

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री नारायण दास मा.स.वि.स.	श्री हाजी हुसैन अंसारी, मा. मंत्री, निबंधन विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या-408/नि0, दिनांक-24.08.2020 के आलोक में "स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया" द्वारा झारखण्ड राज्य में दिनांक-04.09.2020 से ई-स्टाम्प की बिक्री नहीं की जाएगी;	स्वीकारात्मक। ई.-स्टाम्प की बिक्री हेतु विभाग एवं स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित एकरारनामा के अनुसार ई.-स्टाम्प की बिक्री हेतु विभाग द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष हेतु ही प्राधिकृत किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक-04.09.2020 को समाप्त हो चुकी है। तदोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-408/नि0, दिनांक-24.08.2020 द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ई.-स्टाम्प की बिक्री को समाप्त किया गया तथा मुद्रांक शुल्क के ऑन-लाईन भुगतान हेतु व्यवस्था प्रारंभ की गयी।
2.	क्या यह बात सही है कि "स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया" द्वारा ई-स्टाम्प की व्यवस्था होने के बाद से राज्य में आज दिनांक तक ई-स्टाम्प खरीद-बिक्री में किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ नहीं हुई है और राज्य के राजस्व में भी संतोषजनक वृद्धि हुई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। ई.-स्टाम्प की बिक्री हेतु स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किए जाने से राज्य के राजस्व में कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। विगत् तीन वर्षों में निबंधन से प्राप्त कुल राजस्व निम्नवत् है- क्र.सं. | वर्ष | राजस्व प्राप्ति (करोड़ में) 1. | 2017-18 | 465.09 2. | 2018-19 | 449.86 3. | 2019-20 | 560.32 उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विगत् तीन वर्षों में विभाग के राजस्व में आंशिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि भी समय-समय पर सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप हुई है न कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ई.-स्टाम्प की बिक्री के कारण।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भाँति खण्ड-01 में वर्णित ई-स्टॉम्पिंग खरीद-बिक्री की व्यवस्था यथावत लागू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। ई.-स्टाम्प की बिक्री हेतु स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ई.-स्टाम्प के मूल्य का 0.65 प्रतिशत की राशि विभाग द्वारा कमीशन के रूप में दी जाती रही है। वर्ष-2013-14 से वर्ष-2020-21 तक सरकार द्वारा कमीशन के रूप में स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 8,02,77,629/- (आठ करोड़ दो लाख सतत्तर हजार छः सौ उन्तीस) रूपये की राशि दी जा चुकी है, जो निश्चित रूप से एक बड़ी राशि है। इससे राजस्व की क्षति होती है। साथ ही Ease of Doing Business के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समस्त प्रकार के शुल्क ऑन-लाईन पद्धति से प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। अतः विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत मुद्रांक शुल्क के ऑन-लाईन भुगतान हेतु व्यवस्था की गयी है, जिसमें विभाग को किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना होता है तथा पक्षकार सुविधाजनक रूप से घर बैठे भी मुद्रांक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

ज्ञापांक :–13 / नि॰ विधानसभा–06 / 2020 – 443 / नि॰ राँची, दिनांक: 21/09/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं॰प्र॰–1574, दिनांक–16.09.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :–13 / नि॰ विधानसभा–06 / 2020 – 443 / नि॰ राँची, दिनांक: 21/09/2020

प्रतिलिपि:– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, निबंधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के अवर सचिव

(44)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री विनोद कुमार सिंह, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-03

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि 2016 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 50 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में वर्ग 1 से 5 हेतु 23230 एवं वर्ग 6 से 8 के लिए 43754 अभ्यर्थी अर्थात कुल 66984 अभ्यर्थी सफल हुए। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में वर्ग 1 से 5 हेतु 16530 अभ्यर्थी तथा 6 से 8 हेतु 36307 अभ्यर्थी अर्थात कुल 52837 अभ्यर्थी सफल हुए।
2.	क्या यह बात सही है कि एक बार भी इन्हें शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है जबकि पद रिक्त है;	प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के आलोक में प्रथम जेटेट परीक्षा वर्ष 2013 में संपन्न हुई। उक्त नियमावली के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई। जेटेट की द्वितीय परीक्षा वर्ष 2016 में आयोजित हुई जिसका परीक्षाफल वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2015-16 में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अधिसंख्यक वाद लंबित रहने के कारण उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया जून 2019 में पूर्ण हुई है। जिसके द्वारा लगभग 18098 शिक्षक नियुक्त हुए है। झारखण्ड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 (यथा संशोधित 2014, 2015 एवं 2019) में संशोधन प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरांत आवश्यकता का आकलन कर विज्ञापन प्रकाशित हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि निजी विद्यालयों में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्त होते हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यहित में तत्काल इन्हें शामिल करते हुए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-2 में निहित है।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

ज्ञापांक 16 / वि.2–40 / 2020 1151 / राँची, दिनांक 21.9.2020

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1566, दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(45)

माननीय डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-06 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि विश्व व्यापी कोरोना संक्रमण के कारण पूरे राज्य में 50 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो चुके है तथा इसके संक्रमण के कारण 500 से अधिक लोग की मृत्यु हो चुकी है ;	➢ पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 52,13,211. ➢ झारखण्ड में कोरोना मरीजों की संख्या-66,074. ➢ पूरे देश में कोरोना मरीजों की मृत्यु-84,434. ➢ झारखण्ड में कोरोना मरीजों की मृत्यु-579. ➢ भारत में मृत्यु दर-1.6%. ➢ झारखण्ड राज्य का मृत्यु दर-0.87%
2. क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित की संख्या के अनुरूप पूरे राज्य में आई0सी0यू0 वेंटिलेटर, जाँच उपकरण, जाँच किट, अन्य चिकित्सीय संसाधन, चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों को घोर अभाव है जिसके कारण भी काफी संक्रमितों की मृत्यु हो रही है ;	अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सरकारी निर्देश के बावजूद राज्य के निजी अस्पतालों द्वारा जाँच एवं ईलाज के नाम पर मनमानी शुल्क वसूला जा रहा है ;	- इस संबंध में शिकायत/स्पष्ट सूचना अप्राप्त है। - राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में जाँच एवं ईलाज हेतु दर निर्धारित किये जा चुके हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	किसी भी प्रभार की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक-21/वि0 स0-06-08/2020 – 34 (21) स्वा0/राँची/दिनांक- 21-9-2020
प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1569/वि0स0 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

(46)

1504
21/09/2020

श्री बैद्यनाथ राम, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–34

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 21/2016 के आलोक में नियुक्ति नियमावली अध्याय–6 की कंडिका–9(1) में अंकित है कि यदि 25 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित रिक्त पदों पर सीटें खाली रहती है तो ऐसी स्थिति में उक्त रिक्त पद पर 75 प्रतिशत की सीधी भर्ती अभ्यर्थियों से उक्त रिक्त पदों को भरने का प्रावधान था,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। नियुक्ति नियमावली के अध्याय–6 के कंडिका–9(1) में प्रावधान मात्र यह है कि– चिन्हित रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त पाँच वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु यह कि प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अहर्त्ता प्राप्त शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं पाये जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।
2	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी अभियाचना पत्र 12/बी,11–13/2019 2264 दिनांक 29.08.2019 विज्ञप्ति में अंकित अन्य विषयों को छोड़कर मात्र 6 विषयों की अनुशंसा भेजी गयी है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है विभागीय पत्रांक– 2264 दिनांक 29.08.2019 द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रश्न ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा एवं विधि (न्याय) विभाग झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को निम्नांकित निदेश दिये गये हैं – **(i)** माध्यमिक स्तर पर Compulsory विषय–हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास/नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित/भौतिकी एवं जीवविज्ञान/रसायनशास्त्र है इन विषयों के 25 प्रतिशत अन्तर्गत रिक्त पदों को पहले भरा जाय। **(ii)** झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची सीधी भर्ती (75%) के तहत् शत–प्रतिशत एवं 25% के तहत् सुयोग्य अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस जिले में जिस विषय यथा–हिन्दी, अंग्रेजी, गणित/भौतिकी जीवविज्ञान/रसायनशास्त्र एवं भूगोल में प्रेषित कर चुके हैं, उन्हीं जिलों के सफल अभ्यर्थियों (75% गैर अनुशंसित) का प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु आरक्षित 25 प्रतिशत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों के विरूद्ध आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार एवं विषयवार भरने हेतु अनुशंसा करेंगे। **(iii)** संस्कृत विषय में विद्यार्थी के अनुपात में अनुशंसित शिक्षक संख्या के मद्देनजर उपरोक्त कंडिका (ii) के अनुरूप कार्रवाई की जाय। **(iv)** 75 प्रतिशत के सुयोग्य अभ्यर्थी जिनकी अनुशंसा नहीं की जा सकी है, की अनुशंसा कोटिवार, जिलावार एवं विषयवार मेरिट के क्रम को भंग किए बिना 25

		प्रतिशत के रिक्त पद पर विज्ञप्ति के रोस्टर के अनुरूप अविलंब अनुशंसा उपरोक्त कंडिका–(ii) एवं (iii) में ही की जाय।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता, 2016 के आलोक में नियुक्ति नियमावली अध्याय–6 की कंडिका–9(1) का अनुपालन करते हुए सभी विषयों (अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, संथाली, उर्दू, नागपुरी, गृह विज्ञान, संगीत विज्ञान, कुड़ुख, वाणिज्य इत्यादि) का अनुशंसा करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	सम्प्रति W.P.(S) No. –1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2019 को इस नियुक्ति प्रक्रिया पर स्थगनादेश पारित किया गया है। इसे दिनांक 17.03.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश में भी दुहराया गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम न्यायादेश पारित होने पर ही कार्रवाई करना संभव हो सकेगा।

21.9.2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–75/2020 1504 राँची, दिनांक 21/09/2020

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1585 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री दीपक बिरूवा, मा0स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या स0-अ0सू0- 29का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा निवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली पड़ोसी राज्य बिहार, छतीसगढ एवं मध्यप्रदेश में आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों की वार्धक्य सेवानिवृति की उम्र सीमा क्रमशः 67 एवं 65 कर दी गई है?	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन बिहार राज्य के बी0पी0एस0सी0 द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त आयुष चिकित्सक जो कैडर विभाजन के पश्चात् झारखण्ड में पदस्थापित किये गये उनकी सेवा निवृति की उम्र सीमा 60 वर्ष ही है?	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-2 में वर्णित राज्यों के भांति झारखण्ड राज्य में भी आयुष चिकित्सको सहित एलोपैथ प्रक्षेत्र एवं दन्त चिकित्सकों की वार्धक्य सेवा निवृति की उम्र सीमा 60 से 67 अथवा 65 वर्ष करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्तमान में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का वार्धक्य सेवानिवृति उम्र सीमा 60 से 65 अथवा 67 करने का कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0- 20/आयुष-वि0स0-07/2020 124 (20) रॉंची, दिनांक: 21.09.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापाक सं0-1621/वि0स0 दिनांक 17.09.2020 के क्रम में उतर सामग्री की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के उप सचिव।

48

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–17 का प्रश्नोत्तर

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०</td><td>माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झिरगा मुण्डा, पिता–बबना मुण्डा, ग्राम/मौजा–गढ़खटंगा, थाना–जगरनाथपुर, अंचल–नामकोम, जिला –राँची के खाता सं0–15, प्लॉट संख्या – 336, रकबा– 1.60, एकड़ भूमि को CNT Act, 1908 की धारा–49(5) के तहत उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश में आदिवासी रैयती खतियानी भूमि को गैर–आदिवासी को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
Misc.Case.No.-53-R.8.II/1959-60 झिरगा मुण्डा बनाम् राज्य सरकार वाद में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49 के तहत् उपायुक्त के न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–10.06.1960 को आदेश पारित किया गया।
CNT Act, 1908 की धारा–49(5) के तहत भूमि वापसी पर कार्रवाई की जाती है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यदि खण्ड–1 का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित आदेश में किस अभिलेख के तहत CNT Act, 1908 की धारा–49 (5) के प्रकृति के विपरीत होने के बावजूद भी आदिवासी जमीन का हस्तातंरण अवैध रूप से गैर–आदिवासी को किया गया तथा राज्य गठन के बाद से भू–संबंधी कितने ऐसे मामले संबंधित विभाग में लम्बित है, उसे सार्वजनिक करने, भष्ट अधिकारियों एवं भू–माफियाओं को दण्डित करने तथा जमीन की वापसी रैयत को करने पर विचार रखती है , हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यो ?</td><td>उक्त आदेश के विरूद्ध विविध अपील वाद संख्या–18/2018 सरस्वती कच्छप बनाम् रामजी प्रसाद एंव अन्य वाद दिनांक–22.03.2018 को आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के न्यायालय में दायर किया गया। दिनांक–09.04.2018 से सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। तदोपरांत प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची का पत्रांक–2239, दिनांक–03.10.2019 द्वारा विभाग को हस्तांतरित किया गया।
इसके उपरांत सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में Misc.Case.No.-03/2019 श्रीमती सरस्वती कच्छप बनाम् श्री राजजी एवं अन्य वाद की सुनवाई हेतु दिनांक–25.10.2019 की स्वीकृति दी गयी, जो कि विचाराधीन है। राज्य सरकार के स्तर पर मामलों का विवरणी :–
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>राज्य सरकार को प्राप्त मामले</th><th>केस प्रारंभ होने की तिथि</th><th>निष्पादित मामले</th><th>विचाराधीन मामले</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Case No.- 6/Case (Ranchi)-189/2018 शिबना उराँव बनाम् हरिश चन्द्र केशरी वाद</td><td>05.10.2018</td><td>निष्पादित की तिथि– 30.07.19</td><td>–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Misc.Case.No.-03/ 2019 श्रीमती सरस्वती कच्छप बनाम् श्री राजजी एवं अन्य</td><td>25.10.2019</td><td>–</td><td>विचाराधीन</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Misc.Case. No.- 271/ 2019 श्री हाकिम सोरेन एवं अन्य बनाम् M/S रोहने कॉल कम्पनी प्राइवेट एवं अन्य</td><td>13.12.2019</td><td>–</td><td>विचाराधीन</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4	Misc.Case. No.- 272/ 2019 श्री फागु मांझी एवं अन्य बनाम M/S रोहने कॉल कम्पनी प्रा0लि0 एवं अन्य	13.12.2019	—	विचाराधीन
5	Misc.Case. No.- 273/ 2019 श्री देमका मांझी एवं अन्य बनाम M/S रोहने कॉल कम्पनी प्रा0लि0 एवं अन्य	13.12.2019	—	विचाराधीन
6	Misc.Case. No.- 274/ 2019 मो0 करमी देवी एवं अन्य बनाम M/S रोहने कॉल कम्पनी प्रा0लि0 एवं अन्य	13.12.2019	—	विचाराधीन
7	Misc.Case. No.- 275/ 2019 श्री अजय सोरेन एवं अन्य बनाम M/S रोहने कॉल कम्पनी प्रा0लि0 एवं अन्य	13.12.2019	—	विचाराधीन
8	Misc.Case. No.- 276/ 2019 श्री जगदीश मांझी एवं अन्य बनाम M/S रोहने कॉल कम्पनी प्रा0लि0 एवं अन्य	13.12.2019	—	विचाराधीन
9	Misc.Case. No.- 277/ 2019 श्री राजेन्द्र सोरेन एवं अन्य बनाम M/S रोहने कॉल कम्पनी प्रा0लि0 एवं अन्य	13.12.2019	—	विचाराधीन

इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर पर 49(5) के अंतर्गत कोई मामला लंबित या विचाराधीन होने की जानकारी नहीं है।

सरकार इस विषय में पूर्ण संवेदनशील है तथा इस तरह के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती रहेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6 / वि0स0(अ0सू0)–198 / 2020 2471 / रा0, दिनांक– 21-9-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1562 वि0स0, दिनांक–19.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के विशेष सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

श्री सरयू राय, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–14

(49)

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के जिन नन–कैप्टिव लौह–अयस्क खनन पट्टाधारियों का खनन पट्टा दिनांक–31.03.2020 को समाप्त हो गया है, उनके द्वारा पूर्व में खनन किये गये लौह–अयस्क का करीब 5 लाख 60 हजार मिट्रिक टन भंडार उनके पास जमा है;	MMDR Act (Amedment) 2015 के अनुसार उल्लेखित प्रावधान के अनुसार नन कैप्टिव माईन्स की कार्य अवधि 31.03.2020 को समाप्त हो गयी है। 31.03.2020 को समाप्त नन कैप्टिव माईन्स के लीज होल्ड एरिया में खनन पट्टेधारियों द्वारा खनन किए गए लौह अयस्क का अवशेष पड़ा हुआ है। वैसे पट्टेधारी, जो वैधानिक रूप से योग्य हैं उन्हें बचे हुए लौह अयस्क की बिक्री की अनुमति दी जाती है एवं वैधानिक रूप से अयोग्य पट्टेधारी को बिक्री की अनुमति नहीं दी जाती है।
2-	क्या यह बात सही है कि कॉमन कॉज मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि ऐसे खनन पट्टाधारी छः माह के भीतर अपने लौह–अयस्क भंडार का निस्तारण नहीं करते है तो सरकार इस भंडार की नीलामी कर इससे राजस्व प्राप्त करेगी;	कॉमन कॉज केस उच्चतम न्यायलय 114/2014 में दिए गए न्यायादेश के अनुसार कुछ पट्टेधारियों से संबंधित कार्रवाई निम्नवत् है:– i. भुगतान से संबंधित डिमांड नोटिस दिया गया है। ii. डिमांड नोटिस के अनुसार भुगतान, लीज नवीकरण, लीज समाप्त करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची एवं माईन्स ट्रिब्युनल, दिल्ली में सुनवाई चल रही है। साथ ही विभिन्न न्यायालय से प्राप्त निदेश के आलोक में डिमांड की कार्रवाई की जा रही है। iii. डिमांड लंबित रहने के समय लौह अयस्क remove करने की अनुमति नहीं दी गई है। माननीय न्यायालय के निदेश के अनुसार डिमांड realise करने के लिए पट्टेधारियों से शेष लौह अयस्क की बिक्री कर या उनकी संपत्ति को attach कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
3-	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक इस बारे में खनन पट्टाधारियों को कोई निर्देश नहीं दिया है और जमा लौह–अयस्क भंडार को नीलाम करने की प्रक्रिया प्रारंभ नही किया है, जिसके कारण राज्य को 3000 करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है;	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की दी गई है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खनन पट्टाधारियों के पास दिनांक–31.03.2020 तक जमा लौह–अयस्क भंडार को नीलाम कर राजस्व प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ0सू0)–63/2020 1171 /एम0, राँची, दिनांक– 19.9.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1564 दिनांक–16.09.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9

सरकार के उप सचिव

(50)

श्री केदार हाजरा, स0वि0स0 द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में तिथि दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति बनी थी कि हर विधान–सभा क्षेत्र में एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाय;	अंशतः स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार का यह निर्णय है कि वैसे विधान सभा जहाँ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय स्थापित नहीं है, में अंगीभूत महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान–सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने से स्थानीय छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अंशतः स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ विधान–सभा के जमुआ मुख्यालय में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्वीकृति देते हुए महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ करना चहती है, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जमुआ विधान सभा भी ऐसे विधान सभा की श्रेणी में आता है, जहाँ डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जानी है। इस हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित है एवं विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी गयी है। जमुआ में डिग्री महाविद्यालय के स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक DHEsec5/वि. स.-4/2020/HTESD 998 रांची दिनांक– 21/09/2020

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–1561 दिनांक–16.09.20 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(51)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला अन्तर्गत रानेश्वर प्रखंड अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के अधिकतम आबादी का मुख्य पेशा/खेती किसानी व मजदूरी है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखंड में मयुराक्षी नदी के बाढ़ से किसानों की भूमि कटाव के रोकथाम के लिए तटबंध का निर्माण अबतक नहीं कराया गया है.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि महेश बथान से नीरंगी तक पचायत–पत्थरा, खुनीर दाहा, सुकजोरा में किसानों का उपजाऊ सैकड़ों एकड़ भूमि नदी में समा गयी है. जिसके नुकसान का प्राक्कलन/सर्वेक्षण अबतक नहीं कराया गया है.	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त गाँवो/पंचायतों में मयुराक्षी नदी के दोनों किनारों पर तटबंध (गार्डवाल) सर्वेक्षण कर निर्माण कराने का विचार रखती है. हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्थल सर्वेक्षण कर कटाव निरोधक कार्य हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति देवघर को भेजा गया है। क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के अनुशंसा के उपरान्त समीक्षा हेतु राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) को भेजी जायगी। TAC एवं योजना समीक्षा समिति (SRC) से अनुशंसा के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–05/2020 – 3895 /राँची, दिनांक 20/09/2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1584 वि०स० दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशासी पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–30 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में पूर्वक जमींदार एवं राजाओं (छोटानागपुर) के द्वारा Hold करने वाले Land जैसे बकास्त मालिक, मझियस मालिक, गैरमजरूआ मालिक को जमींदारी समाप्ती के दौरान LAND REFORMATION ACT के अन्तर्गत नियमित कर RENT FIXATION कराया गया था;	स्वीकारात्मक। Bihar Land Reforms Act की सुसंगत धाराओं के अनुसार सर्वे खतियान में दर्ज बकास्त मालिक, मझियस मालिक एवं गैर मजरूआ मालिक का Rent Fixation सरकारी प्रावधान के तहत कराया गया।
2	क्या यह बात सही है कि विधान सभा क्षेत्र विशुनपुर के निम्नलिखित गाँव (1) ग्राम–नवाडीह, पंचायत–नवाडीह (2) ग्राम–डीवडीह, पंचायत–खरका (3) ग्राम–पुगु, पंचायत–पुगु (4) ग्राम–डूमरडीह एवं अरमई, पंचायत–अरमई (5)ग्राम–ढिढौली, पंचायत–ढिढौली, प्रखंड–गुमला (6)ग्राम–पोड़हा, पंचायत– पोड़हा, प्रखण्ड– भण्डरा में सरकार ने जमींदार एवं राजा को कितनी जमीन प्रदान करते हुए 1956 में उनके नाम से RENT FIXATION किया है;	लोहरदगा जिलान्तर्गत प्रखंड–भंडरा, ग्राम–पोढ़ा के हाल सर्वे खतियान में बकास्त मालिक, मझियस मालिक भूमि का Rent Fixation किसी जमींदार या राजा के नाम से नहीं हुआ है। गुमला जिलान्तर्गत सरकार द्वारा बकास्त मालिक, मझियस मालिक एवं गैर मजरूआ मालिक भूमि का जमींदार एवं राजा के नाम से की गई Rent Fixation के संदर्भ में जांच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 1956 में जमींदारी Vest होने के पश्चात बकास्त मालिक, मझियस मालिक, गैरमजरूआ मालिक जमीन को जमीनदार को देने के बाद शेष बचे सरकारी जमीन को अंचल पदाधिकारी द्वारा शेष बचे सरकारी जमीन को गलत तरीके से पूर्व के जमींदार के नाम से Rent Fixation कर रहे हैं और पूर्व के जमींदार उस जमीन को भू–माफिया को बेच रहे हैं, इस कार्य में संलिप्त अंचलाधिकारी एवं संलिप्त सभी लोगों की जाँच कराकर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस प्रकार का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 04 / वि0स0(अ0सू0)–43 / 2020 - 2468 (4) / रा. राँची, दिनांक–21-09-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1623 / वि0स0, दिनांक–17.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
सरकार के संयुक्त सचिव

C:\Users\HP\Desktop\vidhanshava sec-4.docx

(53)

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के बिरसानगर, बारीडीह, बागुनहातु, भुईयाडीह, गोविन्दपुर आदि गैर कंपनी इलाकों में जुस्को द्वारा बिजली आपूर्ति करने के लिए इस क्षेत्र में सरकार द्वारा अधिष्ठापित विद्युत संरचनाओं का संयुक्त सर्वेक्षण 2017–18ई० में जुस्को और झारखण्ड राज्य विद्युत वितरण निगम ने किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं जुस्को द्वारा सामान्य तौर पर संबंधित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वेक्षण 2019 ई० में किया गया है।
क्या यह बात सही है कि झारखण्ड विद्युत वितरण निगम एवं झारखण्ड विद्युत संचरण निगम द्वारा इन इलाकों में स्थापित विभिन्न संरचनओं जैसे पावर सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, केबुल आदि का संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2019ई० में पूरा हो चुका है;	वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित इलाकों में स्थापित पावर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, केबल आदि का संयुक्त सर्वेक्षण कराने हेतु दिनांक 05.02.2019 को महाप्रबंधक जुस्को से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग से सहमति/सुझाव प्राप्त करने हेतु भेजा जा चुका है।
क्या यह बात सही है कि संयुक्त सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के गैर कंपनी इलाकों की बस्तियों में जुस्को द्वारा विद्युत आपूर्ति कराने का कार्य शिथिल हो गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15.10.2019 को निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग से सहमति/सुझाव प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। जिसके अनुपालन में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग को समर्पित किया जा चुका है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बतायेगी कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के गैर कंपनी इलाकों की बस्तियों में जुस्को द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने का कार्य कब तक पूरा होगा?	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग की सहमति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र की गैर कम्पनी के इलाकों की बस्तियों में जुस्को द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2005 /

दिनांक 21/9/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/20

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

C:\Users\User\Downloads\Question Answer.docx !!

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–25

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि.–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है झारखण्ड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (J.S.M.D.C) व लिंकेज के द्वारा सस्ते दर पर फैक्ट्री संचालन हेतु सरकार एवं सी0सी0एल0 द्वारा कोयला उपलब्ध करायी जाती है;	नई कोयला वितरण नीति 2007 के तहत जिला के उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसित वैसी औद्योगिक इकाईयाँ जो MSME श्रेणी में आती है, को सी0आई0एल0 द्वारा अधिसूचित दर पर कोयला उपलब्ध कराया जाता है। जिसका वार्षिक खपत 10000 एम0टी0 से कम है तथा इकाई का सी0आई0एल0 या सी0आई0एल0 के सहायक कम्पनी से सीधे एफ0ए0एस0ए0 नहीं होता है, इसके तहत सी0आई0एल0 के सहायक कम्पनी सी0सी0एल0 से कोयला प्राप्त कर इकाईयों को वितरण हेतु J.S.M.D.C. झारखण्ड सरकार का नामित एजेंसी है।
2-	क्या यह बात सही है कि फैक्ट्री संचालन के नाम पर आवंटित कोयले की कीमत ई0 आक्सन की कोयले से काफी सस्ता होता है, एवं गुणवत्ता पूर्ण होने के साथ कोयला उठाव के नियम में सरलीकरण होने से निर्बाध रूप से मंडियों में अत्यधिक मूल्य पर कालाबाजारी कर दिये जाते हैं जिससे ई0 ऑक्सन कोयले के उठाव में कई कठोर नियम लागू कर दिये गए हैं जिससे ससमय उठाव संभव नहीं होता है तथा कोयले की घटिया स्तर होने के कारण बाजार के कीमतों में काफी अन्तर हो जाता है जिससे छोट–छोटे कोयला व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं;	नई कोयला वितरण नीति 2007 से संबंधित खान एवं भूतत्व विभाग के संकल्प संख्या 395 दिनांक– 13.05.2008 द्वारा जिला स्तरीय समिति प्रत्येक जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता मे गठित है, जो एम0एस0एम0ई0 इकाईयों का चयन की अनुशंसा करती है जिसके आलोक में राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत कोयला की आपूर्ति की जाती है, आपूर्ति किये गये कोयले की उपयोगिता की जाँच एवं समीक्षा कर राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उपायुक्त–सह–जिला स्तरीय समिति, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला खनन पदाधिकारी सदस्य है, द्वारा आपूरित किये गये कोयले की जाँच की जाती है तथा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित इकाई का कोयला आवंटन बन्द कर दिया जाता है। नई कोयला वितरण नीति 2007 के तहत सी0आई0एल0 द्वारा अधिसूचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराया जाता है। MSME इकाईयों के संचालन हेतु आवंटित कोयला का मूल्य सी0सी0एल0 के द्वारा अधिसूचित दर के अनुरूप बेसिक प्राइस के अनुसार होता है। इसलिए ई0 ऑक्सन की दर अधिसूचित दर (Notified Price) के समतुल्य या इससे अधिक होती है। कंडिका में वर्णित प्रश्न मुख्यत: सी0आई0एल0/ कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ई0 आक्सन कर तथा (J.S.M.D.C.) को समान दर पर एक ही नियम के तहत समान गुणवत्ता वाली कोयले की आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सी0आई0एल0/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ0सू0)–68/2020 1172 /एम0, राँची, दिनांक– 19.9.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1583 दिनांक–16.09.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9

सरकार के उप सचिव

55

माननीय श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प
सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि बोकारो जनरल अस्पताल में अब तक RTPCR मशीन की स्थापना नहीं हुई है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बोकारो अभी COVID-19 संवेदनशील क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है और बोकारो में COVID-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए बोकारो जनरल अस्पताल और सदर अस्पताल, बोकारो के अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं है ;	बोकारो में कुल नमूना जाँच 87 हजार से अधिक हैं। कुल-Active Cases-197 कुल- Recovery Rate-93.17% कुल- Fatality Rate-0.63% TPM-36642 इससे यह स्पष्ट है की स्थिति में सुधार हेतु अग्रेतर प्रयास किये जा रहे हैं तथा स्थिति नियंत्रण में है। बोकारो में उपलब्ध बेड की संख्या- CCC Bed-200. DCH-40 DCHC-50 ICU-44 Bed occupancy rate-46.9%
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार COVID-19 से बचाव हेतु बोकारो जनरल में यथाशीघ्र RTPCR मशीन की स्थापना करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-21/वि0 स0-06-09/2020 35 (21) स्वा0/राँची/दिनांक:- 21-9-2020
प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-1570/वि0स0 दिनांक-16.09.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

(56)

श्री अन्नत कुमार ओझा, मा0स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या स0–अ0सू0–10 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2001–02 में 3 आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं दो आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय थी, जिसमें से चार महाविद्यालय अर्हता के अभाव में बन्द हो गई और एक (1) राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, गोड्डा सरकार की उदासीनता एवं संसाधन के अभाव के कारण सुचारू रूप से संचालित नहीं है।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। वर्ष 2001–2002 में तीन आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं 02 आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। (क) राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, घाईबासा का भवन निर्माणाधीन है। (ख) राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गिरिडीह का भवन तैयार है। (ग) राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज संचालित है। (घ) राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, गुमला मानव संसाधन के अभाव में संचालित नहीं है। (ङ) राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, गोड्डा संचालित है तथा पठन–पाठन का कार्य नियमित रुप से चल रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, साहेबगंज में शिक्षकों एवं संसाधनों की कमी के कारण संबंधित कौंसिल द्वारा इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है?	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि घाईबासा के जगन्नाथपुर में प्रारम्भ होने वाले राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं राज्य आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, गुमला का भवन नहीं बन पाया है ?	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जगन्नाथपुर, घाईबासा का भवन निर्माणाधीन है तथा राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय, गुमला का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
4.	क्या यह बात सही है कि एक मात्र राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सत्र 2016–17 के लिए संबंधित मेडिकल काउंसिल के सशर्त मान्यता दी गई थी, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालय अस्पताल के स्वीकृत /रिक्त 157 पदों पर यथाशीघ्र बहाली करने की बात कहे जाने के बावजूद महाविद्यालय अस्पताल मात्र 10 कर्मियों के भरोसे चल रही है जबकि सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ होमियोपैथिक ने राज्य सरकार को 31 दिसम्बर 2017 तक सभी अर्हताओं को तय समय सीमा के अन्दर पूरा करने का समय निर्धारित किया था।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा में निम्नवत कर्मी कार्यरत है– नियमित शैक्षणिक चि0 पदाधिकारी – 06 अनुबंध शैक्षणिक चि0 पदाधिकारी – 20 आउट सोर्सिंग कर्मी – 47 दैनिक कर्मी – 05 सरकारी अनुसेवक – 01 **वर्तमान में कुल कार्यरत बल– 79**
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्णित महाविद्यालयों के भवन, संसाधन एवं स्वीकृत पदों पर अविलम्ब नियुक्ति करने तथा अर्हताओं को पूरा कर शिक्षण एवं चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में संचालित महाविद्यालयों में (आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक/फार्मेसी) भवन, संसाधन एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति करने के प्रति सरकार संवेदनशील है तथा इन आवश्यकताओं की कमी की भरपाई शीघ्र करने के प्रति प्रयत्नशील है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 20/आयुष–वि0स0–05/2020 122(20) राँची, दिनांक: 21.09.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–1572/वि0स0 दिनांक 16.09.20 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(57)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-35

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची द्वारा वर्ष 2010 में अनु.सू. जनजाति एवं अनु. जाति के आरक्षित पद पर अनारक्षित वर्ग के 37 शिक्षक/शिक्षिकाओं को ग्रेड-4 स्नातक विज्ञान प्रशिक्षित पद पर अवैध प्रोन्नति दी गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2009 की वरीयता सूची के आधार पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1072 दिनांक 17.02.2009 के आलोक में सक्षम प्राधिकार उपायुक्त द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस करने के उपरांत रोस्टर के अनुसार प्रोन्नति दी गई, जिसके अनुसार अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध क्रमशः 54, 8 एवं 21 पदों के विरूद्ध क्रमशः 49, 1 एवं 3 शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई है। वांछित योग्यताधारी एवं अहर्ताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमशः 5, 7 एवं 18 पद रिक्त रह गये।
2.	क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका-79/1979, दिनांक 10.02.195 के न्यायादेश तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, बिहार के पत्रांक-117, दिनांक 30.09.1995 एवं पत्रांक-64, दिनांक 30.04.1997, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-2020, दिनांक 09.04.2010 की अवहेलना कर अवैध प्रोन्नति दी गई है,	कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनु.सु. जनजाति एवं अनु. जाति के आरक्षित पद पर अनारक्षित वर्ग के 37 शिक्षक व शिक्षिकाओं को दिये गये अवैध प्रोन्नति को रद्द करने एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अपठित
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 16 / वि.2–43 / 2020 1149 / रॉची, दिनांक 21.9. 2020

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1629, दिनांक 17.09.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

सरकार के अवर सचिव

58

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–31 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची स्थित हटिया कारखाना (HEC) Project के तहत Factory एवं Township निर्माणों परान्त अधिगृहित में से शेष बची भूमि को विस्थापित रैयतों को वापस करने का प्रस्ताव को तत्कालीन मुख्यमंत्री पं0 बिनोदानन्द झा द्वारा सहमति विस्थापित प्रतिनिधियों को दिया गया था (No.yy3/ I.M. Patna, the 9V May, 1961)।		संबंधित दस्तावेज विभाग में उपलब्ध नहीं है। संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर उसके अवलोकन के पश्चात विधिक परामर्श के पश्चात ही इस विषय पर किसी प्रकार का निर्णय लेना उचित होगा। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रस्ताव सं0–08 के तहत Execute किये गये Deed of Conveyance में विस्थापितों की मांग को नजर अंदाज कर दिया गया।		कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि खंड–2 में वर्णित Deed of Conveyance 26.02.1996 Execute करते हुए HEC को Absoute ऑनरशीप दे दिया गया, जिससे विस्थापितों के अस्तित्व समाप्त हो गया।		कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्णित विषयों की गंभीरता के मद्देनजर Deed of Conveyance की वैधता की जांच कर कार्रवाई विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?		कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–8बी0/भू0अ0नि0 वि0स0 (अ0सू0)–106/2020 367 (8बी0) दि0 दिनांक–21-9-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1626/वि0स0, दिनांक–17.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय मंत्री कोषांग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

सरकार के उप सचिव

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0-16 का प्रश्नोत्तर।

	प्रश्नकर्ता-श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान केन्द्र, राँची झारखण्ड राज्य गठन के 19 वर्षों के उपरान्त भी क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में अबतक उत्क्रमित नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस संबंध में झारखण्ड सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अबतक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र का क्षेत्रीय कार्यालय अभी भी पटना में अवस्थित है, इसे उत्क्रमित नहीं करने से कृषि अनुसंधान का लाभ झारखण्ड के किसानों को अधिक प्राप्त नहीं हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र (पूर्व में अनुसंधान केन्द्र, राँची) राँची की स्थापना वर्ष 1979 में पूर्वी भारत के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी एवं कृषि-वानिकी पर अनुसंधान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत की गई। आगे चलकर 1 अप्रैल 2001 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना में इसके विलय के बाद से यह केन्द्र पूर्वी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में समन्वित कृषि प्रणाली के विकास हेतु कार्यरत है। केन्द्र द्वारा पूर्वी पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिए सब्जियों की 55 एवं फलों की 3 उन्नत किस्मों का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा कृषि की अनेक उन्नत तकनीकें विकसीत की गई हैं- समेकित सस्य प्रणाली मॉडल, फल आधारित बहुस्तरीय सस्य प्रणाली, उच्च घनत्व तथा अति उच्च घनत्व के बाग लगाना, कद्दूवर्गीय फसलों में उप-सतही टपकन प्रणाली, संसाधन संरक्षण तकनीक, कंद-मूलों समेत पारम्परिक खाद्य का संग्रह, निर्धारण एवं मूल्यांकन, अनुत्पादक, पुराने एवं जीर्ण बागों का उद्धार, वर्षाजल संचयन एवं जल के बहुआयामी उपयोग, वर्ष भर मशरुम उत्पादन, शीघ्र तैयार होने वाले मशरुम सूप मिश्रण, सब्जियों में बीज रंजक, बीजजनित रोगों के नियंत्रण हेतु बीज पर परत चढ़ाना, वर्षाश्रित उच्च भूमि में विविधता, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में सूक्ष्म जलसमेट का जलीय प्रभाव, कृषि वानिकी उपायों द्वारा

		कोयला खान प्रभावी क्षेत्रों में पुनर्वास, फलों के बगीचों में पौधों की बेसिन का समृद्धिकरण, झारखण्ड की गौण पत्तेदार सब्जियों में पोषक पदार्थ का निरुपण, कृषि में अक्षय उर्जा स्रोत का प्रचार प्रसार। केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र में कृषि की तकनीकी के प्रसार के लिए वृहत स्तर पर उत्कृष्ट बीज एवं रोपण सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है। विकसित उन्नत तकनीकों का किसानों के बीच लोकप्रियकरण किया गया है। पिछले 20 वर्षों में, केन्द्र द्वारा झारखण्ड के किसान निम्नलिखित प्रकार से लाभान्वित हुए हैं: • पिछले 20 वर्षों में, लगभग 16000 हेक्टेयर क्षेत्र में केन्द्र पर उत्पादित उन्नत बीजों की खेती से किसानों को लगभग 280 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। • पिछले 20 वर्षों में, 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में केन्द्र द्वारा निर्मित फल-सब्जियों की पौधे की खेती से किसानों को लगभग 180 करोड़ रु० की आय प्राप्त हुई है। • पिछले 10 वर्षों में केन्द्र द्वारा लगभग 30 टन मशरुम स्पॉन का उत्पादन किया गया जिसके द्वारा 150 टन मशरुम उत्पादन करने से किसानों को 75,00,000/- रु० की आय मिली है। • पिछले 20 वर्षों में केन्द्र पर लगभग 2,50,000 किसानों का आगमन हुआ जिन्हें प्रशिक्षण, पौध सामग्री आदि प्रदान कर उनका क्षमता निर्माण किया गया है। • क्षेत्र के किसानों की क्षमता निर्माण हेतु केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 25 से 300 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। • पिछले 5 वर्षों में केन्द्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के लाभार्थ उनके खेतों पर जाकर 2000 से अधिक तकनीकी प्रदर्शन किया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र का क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में करने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–05/वी0ए0यू0(अल्पसूचित प्रश्न)–19/2020 1676 **कृ0, राँची, दिनांक**–19.09.2020

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1522 दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार) 19.09.2020

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05/वी0ए0यू0(अल्पसूचित प्रश्न)–19/2020 1676 **कृ0, राँची, दिनांक**–19.09.2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.09.2020

सरकार के अवर सचिव।

60

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0वि0स0 से चलते सत्र में दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु संविदा पर घंटी आधारित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विभाग के संकल्प ज्ञापांक–04/वि0–1–135/2016–516, दिनांक–02.03.2017 के आलोक में तीन साल के लिए किया गया है, जिनकी नियुक्ति की समय सीमा समाप्ति के कगार पर है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जे0पी0एस0सी0 से सहायक प्राध्यापक की 1118 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया 2018 से लंबित है तथा सरकार ने सहायक प्राध्यापकों के पदों को सृजित करने के लिए एक कमिटि का गठन किया है;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यू0जी0सी0 के अहर्तानुसार चयनित व तीन वर्षों से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत घंटी आधारित संविदा शिक्षकों (अनुभवी) के हितार्थ सहायक प्राध्यापकों की सेवा अवधि विस्तार तथा यू0जी0सी0 नियमावली, 2018 के अनुसार निश्चित मासिक मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा अवधि का विस्तार दिनांक–31.03.2021 तक करने एवं प्रतिमाह एकमुश्त राशि दिनांक–31.03.2021 तक देने का मामला विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक DHEsec5/वि स-3/2020/HTESD 1000/ रांची दिनांक– 21/09/2020/

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–1521 दिनांक–15.09.20 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/20
सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(61)

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–33 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री भूषण बाड़ा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि सिमडेगा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पंचायत टैसर पूर्वी के 25 ग्रामों, टैसर पश्चिमी के 08 ग्रामों, कोनजोबा के 04 ग्रामों, बसैन के 09 ग्रामों, बादडेगा के 04 ग्रामों तथा किनकेल पंचायत के 04 ग्रामों में आज तक बिजली नहीं पहुँचाई गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं होने से लोग ढिबरी-युग में विचरण करने को विवश है जिससे आमजन मानस के साथ विद्यार्थियों किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	खण्ड-1 में वर्णित सभी राजस्व ग्राम विद्युतीकृत हैं और ग्रामीणों द्वारा विद्युत का उपभोग किया जा रहा है, शेष पूर्वी एवं पश्चिमी टैंसेर के 25 टोलों, कोनजोबा के 04 ग्राम के 07 टोला, बासेन के 09 ग्राम के 06 टोला, बादडेगा के 04 ग्राम के 06 टोला, तथा किनकेल पंचायत के 04 ग्राम के 08 बचे हुए टोलों में DDUGJY योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड-1 में वर्णित ग्रामो में खण्ड-2 में वर्णित विषय के गंभीरता के मद्देनजर विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्णित ग्रामों के सभी टोलों में DDUGJY योजनान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, और माह दिसम्बर 2020 के अंत तक उक्त सभी टोलों को पूर्णतः विद्युतीकृत कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2002 / दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20

सरकार के अवर सचिव

D:\Vikas Sabha (Question & Answer)\Budget 2020\Manson\Question Answer.docx III

(62)

माननीय श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०-अ०सू०-02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिला स्तरीय NHM के तहत विज्ञापन संख्या-01/2019 द्वारा की गई बहालियों में एवं District Programme Coordinator की बहालियों में घोर अनियमितताएँ बरती गई है ;	अस्वीकारात्मक। गोड्डा जिला अन्तर्गत जिला स्तरीय NHM के तहत विज्ञापन संख्या-01/2019 द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति विभागीय दिशा-निर्देश एवं लिखित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों से निर्धारित तिथि तक आपत्ति की मांग की गई थी। प्राप्त आपत्तियों के समीक्षोपरांत तद्नुसार नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की गई। **उक्त नियुक्ति के संबंध में कतिपय शिकायतें भी प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच जिला प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। तद्नुसार अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।**
2. क्या यह बात सही है कि उक्त बहालियों में मेरीट में मात्र 40 अंक एवं मौखिक परीक्षा में 60 अंक रखा गया ताकि मनमाने तरीके वरण किया जा सके ;	अस्वीकारात्मक। उक्त विज्ञापन में निम्न निर्देश थे:- **"मेधा सूची तैयार करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर नियमानुसार 20 अंक एवं 60 अंक के लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट में प्राप्त प्राप्तांक के योगफल के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। वैसे पद जिसके लिये अनुभव अनिवार्य है में लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट के लिए 50 अंक एवं अनुभव के लिए 10 अंक अनुमान्य होगा।"**
3. क्या यह बात सही है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से गोड्डा जिला का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र का सहारा लिया है, फिर भी उसकी जाँच नहीं की गयी है ;	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका-1 में स्पष्ट कर दी गई है।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बहाली की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषी संलिप्त अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला स्तर पर तीन सदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, सिविरसा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक-21/वि० स०-06-11/2020 36(21) स्वा०/राँची/दिनांक- 21.09.2020
प्रतिलिपि:-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं०- 1571/वि०स० दिनांक 16.09.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

63

1503
21/09/2020

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–11

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारम्भिक मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षा कर्मियों के लिए सेवाशर्त एवं नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है,	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–1945 दिनांक–11.12.2018 के द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए नियुक्ति नियमावली बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक–1112 दिनांक 08.02.2016 के दिनांक 01.01.2016 से राज्य में प्रभावी होने के पश्चात् निदेशालयीय पत्रांक–416 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा 71 (एकहत्तर), पत्रांक–2334 दिनांक 21.08.2018 के द्वारा 16 (सोलह) और पत्रांक–3093 दिनांक 12.11.2018 के द्वारा 25 (पच्चीस) कुल–112 (एक सौ बारह) नवनियुक्त शिक्षक–शिक्षिकाओं, नवनियुक्त/प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा निदेशालीय पत्रांक–718 दिनांक 16.04.2020 के द्वारा 18 (अठारह) और पत्रांक–739 दिनांक 27.04.2020 के द्वारा 108 (एक सौ आठ) कुल–126 (एक सौ छब्बीस) नवनियुक्त शिक्षक–शिक्षिकाओं, नवनियुक्त/प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति अनुमोदन के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है,	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खण्ड–3 में वर्णित अनुमोदन के प्रस्ताव को लौटाने का क्या औचित्य है?	वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड का पत्रांक–1112 दिनांक 08.02.2016 द्वारा कनीय स्तर के पदों यथा समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/अंतर्वीक्षा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिसके प्रतिकूल इस मामले में साक्षात्कार/अंतर्वीक्षा लेकर अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में उसके अंको को जोड़ा गया है। फलतः अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को वापस लौटाया गया है। इस संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड का परामर्श लिया गया है। उक्त विभाग ने उपरोक्त परिपत्र के प्रावधानों को इन नियुक्तियों में भी लागू होना बताया है।

21.9.2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–72/2020 1503 राँची, दिनांक 21/09/2020

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1568 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

(64)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि झारखण्ड वन सेवा संवर्ग के सहायक वन संरक्षक का कुल 114 स्वीकृत पद है जिसमें 50 प्रतिशत प्रोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा भरा जाना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य वन सेवा के कुल–156 पद स्वीकृत है, जिसमें 78 पद सीधी भर्ती एवं 78 पद प्रोन्नति से भरा जाता है। सीधी नियुक्ति सहायक वन संरक्षक के पद पर होती है। वर्तमान में सीधी भर्ती के 22 पदाधिकारी तथा प्रोन्नति प्राप्त 56 पदाधिकारी कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल–56 पद सीधी भर्ती के रिक्त है।
(2)– क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग होने के 20 वर्षों बाद भी आज तक सहायक वन संरक्षक का 50 प्रतिशत पद रिक्त है, जो सीधी प्रक्रिया से भरा जाना है;	वस्तुस्थिति कंडिका–1 में स्पष्ट की गई है।
(3)– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सहायक वन संरक्षक के 57 रिक्त पदों पर सीधी प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–3544 दिनांक–24.08.2017 द्वारा सहायक वन संरक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को प्रेषित की गई थी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक–2720 दिनांक–14.12.2017 द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के गठन के पश्चात् ही सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है। राज्य वन सेवा की नई नियुक्ति नियमावली सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–65/2020–2877 व0प0, राँची, दिनांक– 20.09.20

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1581 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राकेश कुमार
20.09.2020

(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-2020 M.K

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

65

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि जैक राँची द्वारा टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम 26.11.2016 को प्रकाशित किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 के बाद से अब तक जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है जिससे राज्य के लाखों शिक्षित युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन हेतु "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका-12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची को प्राधिकृत किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जेटेट परीक्षा का आयोजन कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निदेशालय के पत्रांक-1605, दिनांक 04.10.2019 के द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद (JAC) को अनुरोध किया गया है, जिसके संदर्भ में JAC द्वारा नियमावली के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

अवर सचिव
21/9/2020
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 16/वि.2-41/2020 1148 / राँची, दिनांक 21.9.2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1577, दिनांक 16.09.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
21/9/2020
सरकार के अवर सचिव

(66)

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–24 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि पी०वी०यू०एन०एल० (पूर्व पी०टी०पी०एस) के विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा और प्रबंधन के बीच जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कई बार वार्ता हुई है;	स्वीकारात्मक। पी०वी०यू०एन०एल० एक सरकारी उपक्रम है जिसमें 75 प्रतिशत एन०टी०पी०सी० तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सा पूँजी है। पी०वी०यू०एन०एल० से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विषय वस्तु के संदर्भ में स्थिति निम्न प्रकार है– विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक बार माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा की उपस्थिति में तथा दूसरी बार माननीया विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद की उपस्थिति में वार्ता हुई है।
क्या यह बात सही है कि प्रबंधक के द्वारा वार्ता और बैठकों में दोनों पक्ष के बीच हुए समझौते को लागू नहीं करने के कारण विस्थापितों को बार बार आंदोलन करना पड़ता है और स्थानीय प्रशासन निर्दोष विस्थापितों पर झूठे मुकदमें दर्ज करती है यथा उदाहरण पतरातू थाना कांड संख्या–181/2020 है।	वस्तुस्थिति यह है कि बैठकों में जिन मुद्दों पर सहमति बनती है उन सभी मुद्दों पर पी०वी०यू०एन०एल० प्रबंधन यथा संभव संज्ञान लेती है। पी०वी०यू०एन०एल० प्रबंधन के द्वारा वर्णित मुकदमा (पतरातू थाना कांड संख्या–181/2020) नहीं किया गया है। यहाँ यह भी अवगत कराना अनिवार्य है कि पी०वी०यू०एन०एल० प्रबंधन द्वारा जमीन सीधे रैयतों से नहीं खरीदी गई है। इसलिए जमीन संबंधी कोई निर्णय ना तो पी०वी०यू०एन०एल० प्रबंधन द्वारा लिया गया है और न ही ये इसके दायरे में आता है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बतायेगी कि पी०वी०यू०एन०एल० (पूर्व पी०टी०पी०एस) के विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा और प्रबंधन के बीच जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए वार्ताओं के निर्णयों को लागू करते हुए अब तक प्रबंधन के द्वारा विस्थापितों पर दर्ज मुकदमा वापस लेना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कण्डिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2006 / दिनांक 21/9/2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/20

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

C:\Users\User\Downloads\Question Answer.docx 12

(67)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0-22 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता-श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति, डीन, एसोसिएट डीन, डायरेक्टर, रजिस्टार आदि पद प्रभार के भरोसे चल रहे हैं। वहीं कई महत्वपूर्ण पद को अनुबंध पर बहाल कर्मचारी संभाल रहे हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय में पढ़ाई के गुणवत्ता के साथ काम काज पर भी गहरा असर पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कुलपति/निदेशक प्रशासन/निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची की नियुक्ति की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 58 पद स्वीकृत हैं। इसमें 41 रिक्त है। एसोसिएट प्रोफेसर के 113 में से 106 पद रिक्त हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 273 पद में से 232 पद रिक्त है यानि विश्वविद्यालय में 444 स्वीकृत पदों में से 379 पद रिक्त है;	स्वीकारात्मक। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची में प्रोफेसर के 75 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 70 पद रिक्त हैं। एसोसियेट प्रोफेसर के 195 में से 184 पद रिक्त हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 422 स्वीकृत पद में से 356 पद रिक्त हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में विधि व्यवस्था एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु वर्णित स्वीकृत पद पर अविलम्ब नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची द्वारा भेजी गयी थी, परन्तु तत्कालीन प्रभारी कुलपति के पत्रांक-89 दिनांक-25.09.2020 के द्वारा यू0जी0सी0 के पत्र के आलोक में विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर पुनः तैयार करने हेतु तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में बी0ए0यू0 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मंतव्य हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को संबंधित संचिका दिनांक-24.08.2020 को पृष्ठांकित की गयी है। परामर्श प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(अल्पसूचित प्रश्न)-19/2020 1678 कृ0, राँची, दिनांक- 19.09.2020

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1580 दिनांक-16.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार) 19.09.2020

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-05/बी0ए0यू0(अल्पसूचित प्रश्न)-19/2020 1678 कृ0, राँची, दिनांक- 19.09.2020

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 19.09.2020

D:/G Drive/Vidhan Sabha/Question Answer

1505
21/09/2020

(68)

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–27

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 1981–82 के स्वीकृत एवं संचालित परियोजना उच्च विद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी संकल्प संख्या–2367 दिनांक 27.12.2017 द्वारा दिनांक 01.01.1982/नियुक्ति तिथि जो बाद में हो से वेतन भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक–201, दिनांक 29.01.2020 द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से वर्ष 1981–82 चरण के शेष विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को 01.01.1982 अथवा नियुक्ति तिथि के बजाय दिनांक 01.04.1986 से किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। निदेशालय के पत्रांक–645 दिनांक 06.03.2018 द्वारा पूर्व से चिन्हित किए गए 352 शिक्षकों के अलावे छूटे हुए 94 (चौरानबे) शिक्षक एवं 127 (एक सौ सत्ताईस) शिक्षकेत्तर कर्मियों की सूची तैयार कर उनके सेवा सत्यापन कर प्रतिवेदन देने का निदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निदेशालयीय पत्रांक–201 दिनांक 29.01.2020 द्वारा दिया गया था। विभागीय संकल्प संख्या–2367 दिनांक 27.12.2017 के प्रावधानानुसार वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना विद्यालय के शिक्षकों को जिन्हें 01.04.1986 के प्रभाव से वेतन भुगतान किया जा रहा था, को वर्तमान में 01.01.1982 अथवा नियुक्ति तिथि, जो बाद में हो के प्रभाव से वेतन भुगतान किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि निदेशालय के पत्रांक–645 दिनांक 06.03.2018 द्वारा अपनाई गयी नीति बाकी शेष शिक्षकों एवं कर्मियों पर लागू न कर जांच के बहाने विलंब किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिना विलंब किये उन छूटे हुए शिक्षकों एवं कर्मियों को 01.01.1982 या नियुक्ति तिथि से वेतन निर्धारण कर भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना विद्यालय के के छूटे हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के दावे की सत्यता की जाँच हेतु निदेशालयीय आदेश ज्ञापांक–670 दिनांक 26.03.2020 द्वारा समिति गठित की गई है। COVID-19 के संक्रमण के फलस्वरूप सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारी/कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने तथा रोस्टर ड्यूटी आदि कारणों से जाँच प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। जिलों से प्राप्त छूटे हुए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की दावे का समिति द्वारा सत्यापनोपरांत सही दावा का निष्पादन नियमानुसार करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

ह०/- 21.9.2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–76/2020 1505 रांची, दिनांक 21/09/2020

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची के ज्ञापांक–1585 दिनांक 18.09.2020 के आलोक में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 21.9.2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

69

श्री दीपक बिरूआ, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-28 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नेशनल ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी) की पूर्वी बेंच कोलकाता ने बर्चुवल सुनवाई करते हुये झारखण्ड के नये विधान सभा भवन और हाईकोर्ट के निर्माण में पर्यावरण नियम का उल्लंघन करने के आलोक में 113 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है तथा 19-अन्य भवनों के निर्माण को भी पर्यावरण अनुकूल नहीं मानते हुये चिन्हित किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा झारखण्ड के नये विधान सभा भवन और हाईकोर्ट के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं किये जाने के कारण **Central Pollution Control Board (CPCB)** द्वारा 31.12.2019 तक के लिये आकलित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 130 करोड़ रूपये की भरपाई (Recover) करने का निदेश दिया गया है। शेष अन्य उन्नीस भवन, भवन निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि ट्रिब्यूनल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण नुकसान की भरपाई के लिये विधान सभा भवन पर 47-करोड़ और हाईकोर्ट के नये भवन पर 66-करोड़ रूपये का जुर्माने की अनुशंसा की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। **Central Pollution Control Board (CPCB)** द्वारा निर्माणाधीन मा0 उच्च न्यायालय भवन में **Enviornment Clearence** (EC) में हुए विलम्ब के लिये कार्य आरम्भ करने की माह जनवरी, 2016 से 31.12.2019 तक के लिए प्रतिदिन 56,250.00 (छप्पन हजार दो पचास रूपये) के दर से 1434 दिन के लिए कुल राशि 81.00 करोड़ रूपये का पर्यावरण क्षतिपूरक राशि की गणना की गयी है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 से ही बन्द है, एवं इसकी सूचना SEIAA को दे दी गयी है। फिर भी CPCB द्वारा 31.12.2019 तक के लिए पर्यावरण क्षतिपूरक राशि की गणना की गयी है। इसी प्रकार नवनिर्मित झारखण्ड विधान सभा भवन के निर्माण कार्य आरम्भ करने की तिथि 25.01.2016 से पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने की तिथि 04.09.2019- कुल 1317 दिन के विलम्ब के लिये प्रतिदिन 37,500.00 रूपये (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) की दर से कुल 49.00 करोड़ (उन्चास करोड़) रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना CPCB द्वारा की गयी है। अर्थात् उक्त दोनों भवनों के लिये 31.12.2019 तक कुल समेकित राशि 130.00 करोड़ (एक सौ तीस करोड़) रूपये की गणना CPCB द्वारा की जा चुकी है।
3.	क्या यह बात सही है कि जरूरी पर्यावरण स्वीकृति के बिना ही उक्त भवनों का निर्माण कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नवनिर्मित झारखण्ड विधान सभा भवन एवं निर्माणाधीन झारखण्ड उच्च न्यायालय भवन में EC प्राप्त करने में क्रमशः कुल 1317 एवं 1434 दिन का विलम्ब दर्शाया गया है जबकि विभाग द्वारा EC हेतु आवेदन 11 सितम्बर 2017 को ही किया जा चुका था। अब-तक कभी भी एन0जी0टी0, SEIAAअथवा MOEF&CC द्वारा उक्त भवनों में कार्य को रोकनें/स्थगित करने का कोई भी निदेश भवन निर्माण विभाग को नहीं दिया गया। नये झारखण्ड विधान सभा भवन के लिए **JSEIAA**के पत्रांक-EC/SEIAA/2018-19/2130/2018/419 Ranchi, दिनांक- -04-09-2019 द्वारा **EC** प्रदान किया गया है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित भवनों को पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर निर्माण किये जाने के विरूद्ध दोषी विभागीय पदाधिकारियों, एजेंसी एवं संवेदक को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुये जुर्माना वसुलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त दोनों भवनों के पर्यावरण क्षतिपूरक राशि की गणना CPCB द्वारा की गई है, जो निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में दोषपूर्ण है:- नवनिर्मित झारखण्ड विधान सभा एवं निर्माणाधीन उच्च न्यायालय भवन के EC के लिए MOEF&CC के समक्ष 11 सितम्बर 2017 को आवेदन किया गया था जिसे SEIAA(State Level Enviornment Impoact Assessment Authority) को 28.03.2018 को हस्तान्तरित किया गया। उक्त अवधि (लगभग छः माह) में आवेदन MOEF&CC के स्तर पर लम्बित था जिसमें विभाग का कोई दोष नहीं है एवं उक्त अवधि की गणना CPCB द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, जो उपरोक्त आकलित राशि में किया जा चुका है। यह भी ध्यातव्य हो कि नये विधान सभा भवन के निर्माण हेतु G.R.D.A.एवं कनसलटेंट- M/S Consulting Engineering Services के मध्य किये गये एकरारनामा की Appendix-A कंडिका - 3.2.8, 3.2.15, 4.2.3, 4, 3.3, 4.7.4, 4.9,Note-5 Appendix-D कंडिका 6.1.7, 6.4.3, 6.8.4, 6.10 के अनुरूप सभी वैधानिक अनापत्ति पत्र कन्सलटेंट द्वारा प्राप्त किये जाने थे, जिसका उल्लंघन उक्त कन्सलटेंट द्वारा किया गया है। इसी प्रकार निर्माणाधीन उच्च न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग एवं कनसलटेंट - M/S Enarch Consultants Pvt. Ltd. के मध्य किये गये एकरारनामा की कंडिका - 3.1.3 के अनुरूप सभी वैधानिक अनापत्ति पत्र कन्सलटेंट द्वारा प्राप्त किये जाने थे। EC न लेकर उक्त का उल्लंघन कन्सलटेंट द्वारा किया गया है। एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा उक्त वाद में दिनांक-09.09.2020 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध झारखण्ड सरकार द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के समक्ष वर्णित बिन्दुओं पर विचारार्थ तथा CPCB की दोषपूर्ण गणना हेतु पुनर्विचार याचिका एवं तदोपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपीलवाद दायर कर अपना पक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः- भ0-03-विधायी(ता0प्र0)-20/20..1319.(अ) राँची, दिनांकः-21-9-2020

प्रतिलिपिः-श्री हरेन्द्र कुमार साह, उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या-1620/वि0स0, दिनांक-17.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

(70)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि वर्ष 1950 के पश्चात् सभी राज्यों में ग्रामवार थाना संख्या, प्लॉटवार बंजर भूमि के साथ–साथ वन क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम की धारा–29 अन्तर्गत सुरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित कर उक्त भूमि पर रैयतों एवं सरकार के दावों का निस्तारण हेतु वन व्यवस्था पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी;	स्वीकारात्मक।
(2)– क्या यह बात सही है कि वर्णित पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित वन भूमि से संबंधित रैयतों एवं सरकार के दावों की सुनवाई कर पूर्व में अधिसूचित किये गये सुरक्षित वन भूमि को हरे लाईन से सीमांकन कर देने के बावजूद उक्त धारा में निहित प्रावधानों के अनुरूप अंतिम अधिसूचना अबतक नहीं निकले जाने के कारण उक्त सीमांकन क्षेत्र से बाहर की भूमि पर अबतक सरकार का ही अधिपत्य स्थापित है जिससे राज्य के रैयतों को काफी परेशानी हो रही है;	सुरक्षित वनभूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 के अंतर्गत अधिसूचित है और यह गजट अधिसूचना वर्तमान में विद्यमान है। लम्बी अवधि में वन (संरक्षण) अधिनियम के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वनभूमि के प्रसंग में वाद संख्या–202/95 टी0 एन0 गोदावर्मन थिरूमूल्कपाद बनाम भारत सरकार एवं अन्य में समय–समय पर नियमन दिया गया है। अतः इन सभी के आलोक में इस मामले की गहन समीक्षा की आवश्यकता है।
(3)– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित अधिनियम में निहित प्रावधानों का अनुपालन कर संबंधित अधिसूचना निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में उपर स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न–64/2020–2876 व0प0, राँची, दिनांक–20.09.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1576 दिनांक–16.09.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राकेश कुमार
20.09.2020

(राकेश कुमार)
सरकार के उप सचिव